

जनपद न्यायालय, अनुभाग नजारत, सुलतानपुर।

नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय सुलतानपुर स्थित कैन्टीन एवं फोटो स्टेट की दुकान की नीलामी दिनांक **24.03.2026** को अपरान्ह 4.30 बजे नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय परिसर सुलतानपुर में किराये पर नीलामी होने वाली दुकानों की न्यूनतम बोली एवं धरोहर बोली की सूचना निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में नीलामी होने वाली प्रस्तावित दुकानों की एक वर्ष के लिए धरोहर राशि एवं न्यूनतम बोली राशि का विवरण-

क्र०सं०	स्थल का नाम	प्रयोजन	धरोहर राशि	प्रस्तावित न्यूनतम बोली
1	12 कक्षीय न्यायालय भवन के सामने स्थित कैन्टीन की नीलामी	चाय, काफी, समोसा, फल, जूस, कोल्ड्रिंक, लस्सी, व दुग्ध उत्पादक डिब्बा बन्द वस्तुएं आदि	50000 /-	7,81,000 /-
2	दुकान फोटो स्टेट स्थित गवाह घर	दस्तावेजों की छायाप्रति	15,000 /-	1,02,850 /-

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि इस जनपद न्यायालय के नजारत अनुभाग में नीलामी की नियत तिथि 24.03.2026 से पूर्व तक अपरान्ह 3 बजे तक जमा की जा सकती है।

उपरोक्त दुकानों की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 75 प्रतिशत की धनराशि दिनांक 24.12.2026 तक तीन किश्तों में तिमाही जमा करना होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली 25 प्रतिशत धनराशि नगद जमा की जायेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

(संध्या चौधरी)
अध्यक्ष नीलामी समिति /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ-

1. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. अधिशाषी अधिकारी, जिला पंचायत, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को शासनादेश संख्या 562/29 2007 1007 74 (टी0सी0) दिनांक 04.07.2007 के अनुक्रम में समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. कार्यालय के नोटिस बोर्ड नजारत पर चस्पा करने एवं रक्षक पत्रावली में अनुरक्षण हेतु।
8. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(संध्या चौधरी)
अध्यक्ष नीलामी समिति /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।